187

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2017 निगरानी ।।।/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/3738

1. स्व. तांतीसिह तोमर पुत्र सूवेसिंह फोत वारिसान–
(अ) कप्तान सिह तोमर आयु 55 साल
(ब) सबलसिह तोमर आयु 50 साल
(स) शेरसिंह तोमर आयु 40 साल
पुत्रगण स्व.तातीसिह तोमर
(द) श्रीमती रामढकेली विधवा पत्नी स्व. तांती सिह तोमर, समस्त निवासीगण ग्राम गोपी परगना अम्बाह जिला मुरैना हाल निवास सुभाषसनगर नई टंकी के पास, वार्ड कमाक 4 मुरैना म.प्र.

संतोष सिंह परमार
आज दि. 7-10-17 को
7-10-17

प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-10-17 नियत।

Noted
23/10/17

2. मृत–हवलदार सिह तोमर पुत्र श्री उल्फत सिह तोमर (फोत) –वारिसान
अ– राजूसिह तोमर पुत्र स्व. श्री हवलदार सिह तोमर, आयु 45 साल, निवासी ग्राम गोपी परगना अम्बाह जिला मरैना म.प्र.

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. कमल किशोर उपाध्याय पुत्र श्री काशीप्रसाद, आयु 40 साल, निवासी फाटक बाहर जैन बगीची के पीछे, रामनगर मुरैना म.प्र.
2. भगवती प्रसाद आयु 43 साल
3. शंकर सिह आयु 41 साल

4. हेतराम आयु 39 साल
5. शिवराम आयु 32 साल,

पुत्रगण बच्चू सिंह जाति खटीक निवासीगण सुभाष नगर मुरैना म.प्र.

.... रेस्पोडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्व आदेश दिनांक 6.7.2017 पारित न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना म.प्र. के प्रकरण कमांक 267/2017-18 अपील माल व उनवान स्व. तांतीसिह तोमर फोत वादहू वारिसान कप्तानसिह आदि बनाम कमल किशोर आदि जिसके द्वारा आवेदक का धारा 5 अवधि विधान का निरस्त किया गया है, से व्यथित होकर।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि विक्रेतागण भगवती प्रसाद शंकर सिह, हेतराम, शिवराम, पुत्रगण बच्चू सिह जाति खटीक निवासी सुभाष नगर मुरैना द्वारा एक अधिकार विहीन बनावटी कूट रचित विकयपत्र दिनांकित 14.2.11 ग्रंथ कमाक 8/09 विकय धन राशि 1,39,100/-रुपये मे ग्राम बडोखर परगना जिला मुरैना की भूमि सर्वे कमाक 66 का अंशभाग 844 वर्गफीट केता कमल सिह पुत्र काशीप्रसाद निवासी रामनगर मुरैना के पक्ष मे विकय पत्र संपादित किया गया है।
2. यह कि विकेता भगवती प्रसाद बगैरा तथा कथित विकय पत्र दिनाकित 14.2.2011 के सम्पादित विकय पत्र मे यह तथ्य अंकित नही किया है कि विकीत भूमि का अधिकार विक्रेतागण का कैसे प्रापत हुआ तथा ग्राम बडोखर के सर्वे कमाक 866 मे विक्रेतागण भूमि स्वामी नही थे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / मुरैना / भू0राज0 / 2017 / 3738

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30 –10–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 18 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण भी नहीं दर्शाया था। अपर आयुक्त के समक्ष भी आवेदक द्वारा 6 माह 21 दिन विलम्ब से अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण अपर आयुक्त ने अपील को समयबाधित मानते हुये अग्राह्य किया है। आवेदक द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालय में विलम्ब से अपील प्रस्तुत किये जाने एवं विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाये जाने से अपील को अग्राह्य किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	